मादक द्रव्य से सम्बन्धित कांड के अनुसंधान हेतु महत्वपूर्ण बिन्दु

1. मादक द्रव्य से सम्बन्धित की सूचना मिलने पर सर्वप्रथम थाना/जिला के बार्डर को सील करने की दि” ाा में कार्रवाई करेगें।

SL No-	SUBJECT	DO'S	DON'T'S
1	प्राथमिकी	1. घटना की सूचना मिलने पर तत्काल थाना दैनिकी में प्रविष्टि (S.D Entry) (पु0ह0 नि0–116) करते हुए Hue and Cry नोटिस नियत्रंण कक्ष के माध्यम से सभी संबंधित को भेजने की कार्रवाई किया जाना चाहिए। 2. जिन मामलों में अनवेषण या अनुसंधान का आधार अपर्याप्त हो, वैसे मामले में तत्काल सूचनादता या परिवादी को आ0ह0प्र0 सं0–82 में यह बात तुरन्त अंकित कर सूचित कर दी जाय कि उक्त परिवाद का अन्वेषण नहीं किया जायेगा। 3. पुलिस अधिकारी के स्वलिखित बयान के आधार पर दर्ज किया जाना चाहिए। 4. प्राथमिकी में बरामद मादक पदार्थों का सही सही विवरण लिखा जाना चाहिए। 5. अवैध अफीम की खेती से सम्बन्धित प्राथमिकी में खेती करने वाले लोगों का नाम सत्यापित कर देना चाहिए। 6. खेती वाली जमीन का ब्यौरा भी सही सही लिखा जाना चाहिए। 7. जप्त मादक द्रव्य का जॉच Excion Other से करना चाहिए।	
2	घटनास्थल एवं साक्ष्य संकलन	1. घटना की सूचना मिलने पर सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करना की घटनास्थल की यथासंभव सीमा निर्धारण, घेराबंदी (Cordoning) कराया जाना चाहिए। वादी को सूचित करें कि घटनास्थल पर व्यक्तियों का गमनागमन हो, ताकि उपलब्ध साक्ष्य के विनष्ट होने की संभावना क्षीण रहे। 2. घटनास्थल का फोटो विभिन्न कोणों से खींचना। 3. प्रदर्शो की मार्किंग करें। 4. घटनास्थल से भौतिक रूप से प्राप्त हुये सुराग (अंगुलांक, पदचिन्ह व अन्य वस्तु) को एकत्रित करना (Collection,Handling & Packing) एवं वि” ोशज्ञ से जांच कराना। 5. घटनास्थल की विस्तृत विवरण, चौहदी	

		सहित अंकित करना एवं घटनास्थल को आरेखित (स्कैच) करना। 6. यदि घटनास्थल या उसके आस–पास सी0सी0 टी0वी0 लगा हो तो उसका फुटेज एकत्रित करना। 7. घटनास्थल पर उपलब्ध साक्ष्य से अपराधियों के विरूद्ध सूत्र हस्तगत करने हेतु श्वान दस्ता (Dog squad) की मदद लेना। 8. अपराधियों के द्वारा प्रयोग किये गये Modus Operandi के संबंध में सूचना संग्रह करना। 9. Different Type Material जैसेः– अभिलेखों, Finger Prints, रक्त, बाल, Fibers, और मिट्टी, Paint इत्यादि जो अपराधियों के द्वारा घटनास्थ्ल पर छोड़ा गया हो एवं उपलब्ध हो उसे संग्रह करना। 10. बढ़ने का Vital Clues. का मिलने की संभावना हो 11. संदिग्ध के Identification के संबंध में सूचना संग्रह करना। 12. प्राप्त सूचना के आलोक में अविलंब घटनास्थल की ओर प्रस्थान करें एवं घटनास्थल पर घटना से संबंधित तथ्य एवं साक्ष्यों को संग्रह करना सुनिश्चित करेंगे। 13. गवाहों की जाँच (Witness's Testimony) जो साक्ष्य को सहायतार्थ एवं इन्कार करता हो, की सूचना संग्रह करना। 14. घटनास्थल से जप्त प्रद" ाों की जॉच विधि विज्ञान प्रयोग" ााला से यथा भीाघ्र करवाना चाहिए। 15. अभियुक्तों को गिरफ्तारी के बाद यदि उसके अन्य सदस्यों के पास मादक द्रव्य होने की बात प्रका" ा में आये तो तुरंत छापेमारी कर मादक द्रव्य बरामद किया जाना चाहिए। 16. अपराधियों के भागने की दि" ाा में पीछा किया जाना चाहिए एवं बार्डरिंग थाना एवं बार्डरिंग जिला को मोबाईल /वितंतु द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।	
3	जप्ती सूची	1 जप्ती सूची दण्डाधिकारी द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। 2 बरामद मादक पदार्थ को दो स्वंतत्र साक्षियों के समक्ष जप्त करना चाहिए।	1. तलाशी एवं जप्ती सूची की कारवाई बिना दण्डाधिकारी के नहीं होनी चाहिए।

		3 यदि घटनास्थल पर स्वंतत्र साक्षी उपलब्ध नहीं हो तो पुलिस कर्मी के समक्ष जप्ती सूची तैयार कर जप्त किया जाना चाहिए। 4 अनुसंधानकर्त्ता जप्ती–सूचो बनाते वक्त द0प्र0सं0 की धारा–102, 457 एवं 458 में दिये गये अनुदेशों का अवश्य अनुपालन करें। 5. द0प्र0सं0 की धारा–100 में कोई भी कोई भी पुलिस पदाधिकारी किसी भी स्थान/भवन में तला" ाी कर अभिलेख को जप्त कर सकते हैं जो 100 द0प्र0सं0 के तहत तथ्य है। 6. यदि search के दौरान स्थानीय गवाह उपलब्ध नहीं हो तो वैसा search अवैध नहीं होगा। (search is not vitiated) 7. द0प्र0सं0 की धारा–100(6)(7) में प्रावधान है कि जप्त सम्पति का प्राप्ति रसीद स्वामी को लेने का अधिकार है।	2. Search के दौरान यदि Cr.PC.की धारा 100 में दिए गए निर्दे" ाों का अनुपालन नहीं किया जाएगा, वैसा search अवैध होगा, वैसे search का विरोध किया जा सकता है।
4	गवाहो का परीक्षण	1 गवाहों का परीक्षण काफी सूक्ष्मता से करनी चाहिए । 2 जप्ती सूची के गवाहों का बयान लेते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह जो बोले उसी को अंकित करें ताकि विचारण के समय Hostile न हो जाय।	
5	साक्ष्य संकलन (घटना स्थल के अतिरिक्त)	1 अगर मादक द्रव्य जैसे अफिम की खेती के अंगर्तत काण्ड प्रतिवेदित हुआ हो तो खती किए जाने वाले प्लौट का विस्तृत विवरण अंचल अधिकारी से प्राप्त कर काण्ड दैनिकी में अंकित किया जाना चाहिए। 2 कांड के नामजद/अप्राथमिकी अभियुक्तों के विरूद्ध अनुसंधान के क्रम में ठोस साक्ष्य संकलन का सतत प्रयास होना चाहिए। 3 मादक द्रव्य से अर्जित संपति का पता करना तथा उसके अधिग्रहण की कारवाई की जानी चाहिए। 4 वह फोन/मोबाईल नम्बर प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए जिनका उपयोग अपराध कर्मियों द्वारा किया गया है। उसके Mobile NO का SURVILLANCE में डालकर गिरोंह के अन्य सदस्यों का पता लगाना चाहिए।	
6	वैज्ञानिक अनुसंधान	1 घटनास्थल पर पाये गये मादक द्रव्य पदार्थ को विधिवत रूप से जप्त कर विधि विज्ञान प्रयोग भााला भेजकर जॉच करवाना चाहिए।	
7	रेकॉर्ड चेक करना	अपराधियों का आपराधिक इतिहास पता करना चाहिए।	

8		यदि घटनास्थल पर मादक पदार्थ का सेवन करने वाले पकड़े जाते हैं तो उसका Medical Examination कराया जाना चाहिए।	
9	स्वीकारोक्ति बयान का आलेखन	1 अभियुक्त का स्वीकारोक्ति बयान सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर लेनी चाहिए। 2 गिरफ्तार व्यक्तियों का अभिलेख और उसका निपटारा आ0ह0प्र0सं0–31अ के अनुसार संधारित की जायेगी। 3 गिरफ्तार अभियुक्त का स्वीकारोक्ति बयान विशेष शाखा द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्र के अनुसार अभिलेखित किया जाना चाहिए। (To Prepare questionnaires for examining the accused) 4 स्वीकारोक्ति बयान इस उद्वेश्य से लिया जाना चाहिए, ताकि उस बयान के आधार पर लूटी गई सम्पत्ति/प्रयुक्त हथियार, पदार्थ अन्य वस्तुएं जो साक्ष्य की महत्पूर्ण कड़ी हो की बरामदगी की जा सके। (Leading to the recovery- as per the provisions of u/s 27 Evidence Act.) 5 अभियुक्त का पहचान परेड़ (T.I Parade) करना चाहिए। 6 गिरफ्तारी के समय पुलिस पदाधिकारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के द्वारा AIR 1997 SC 610 में D.K Basu VS State of west Bangal में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से करेंगे। 7 अभियुक्त का स्वीकारोक्ति बयान अभिलेखित करते वक्त द0प्र0सं0 की धारा–281 में दिये गये प्रावधान को अनिवार्य रूप से ध्यान में रखेंगे एवं Precaution लेंगे। 8 धारा–175, 178, 179, 180 और 228 भा0द0वि0 के अन्तर्गत किये गये अपराध के मामलों में जिसमें अभियुक्त का बयान एवं तथ्य लिपिवद्व कर लिए गये हों संबंधित दण्डाधिकारी को जिनके क्षेत्र का मामला हो 346 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत कारवाई के लिए अग्रसारित कर देंगे।	

		9 इसमें देरी नहीं होनी चाहिए।	
10	वांरट / इश्तेहार / कुर्की	1 न्यायालय में वारण्ट (Memo Of Evidence) हेतू अधियाचना समर्पित करते वक्त साक्ष्य ज्ञाप का विस्तृत रूप से उल्लेख करें। 2 अपराधकर्मी यदि दूसरे जिला का हो तो कु” ाल पदाधिकारी को भेजकर तामिला करना चाहिए। (A warrant of arrest may be excuted at any place of India. Cr.PC.77) 3 अज्ञात अभियुक्तों का सत्यापन अविलम्ब अलग से एक छापामारी टीम बना कर करना चाहिए। सत्यापित होते ही उनके विरूद्ध न्यायालय से वांरट कुर्की जप्ती प्राप्त करने की दि” ाा में लोक अभियोजक से सम्पर्क कर उसका तामिला करना चाहिए। 4 गिरप्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में उपस्थापित करें। (Cr.P.C u/s 56, 57) 5 जमानतीय धारा के कांडों में गिरप्तार अभियुक्त को Sureties (प्रतिभूति / बंध पत्र)लेकर पुलिस पदाधिकारी विमुक्त करें। (Cr.P.C u/s 50(2) । 6 गिरप्तार व्यक्ति यदि Medical assistance के लिए अनुरोध करें तो उन्हें तत्काल चिकित्सकीय सुविधा मुहैया कराया जाय एवं इसकी प्रविष्टि पंजी में की जाय । महिला की चिकित्सकीय जाच केवल महिला Medical practitioner से करायी जाय। (Cr.P.C 53) 7 किसी व्यक्ति को Search, बिना आक्रमक्ता एवं बल लगाए बिना उनकी निजता का ख्याल रखते हुए Dignity के साथ करना चाहिए। महिलाओं का Search महिला पुलिसकर्मी हीं करें (Cr.P.C 51(2))। 8 किसी को भी बेड़ी (leg chains)और हथकड़ी (Handcuffs) न लगाये। (This mandated in judgment of the Supreme Court in Prem Shanker Shukla vs Delhi Administration (1980) 3 Scc 526 and citizen For Democracy vs state of Assam [(C	

		1995)3 Scc 743) 9 सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच महिलाओं की गिरप्तारी से परहेज करें । 10 बिना Warrant के गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण, उसकी भाषा में बताएँ/गिरफ्तारी का कारण लिखित रूप पुलिस अभिलेख में संधारित रहे। उसकी प्रति गिरफ्तार व्यक्ति को उपलब्ध कराएं। (Cr.P.C u/s 50 (i)) 11 गिरफ्तार व्यक्ति के अनुरोध पर उनके परिवार/मित्र को निरूद्ध (detention) का कारण बताना चाहिए। जिन्हें कारण बताया गया है, उनका नाम पता पंजी में संधारित अवश्य करें। (Jogender Kumar's Case (1994) 4 SCC 260)) 12 जधन्य/गंभीर प्रकृति के अपराधों को छोड़कर अन्य में गिरफ्तारी से परहेज करें। पुलिस पदाधिकारी संबंधित को थाना में उपस्थित होने के लिए सूचित करें तथा उन्हें हिदायत दें कि बिना अनुमति के थाना से न जाए। (Jogender Kumar's Case (1994) 4 SCC 260)) 13 द0प्र0सं0 की धारा–75 में गिरफतारी वारन्ट के संबंध में अधिसूचना पुलिस पदाधिकारी अथवा दूसरे कोई पदाधिकारी जो वारन्ट का निश्पादन कर रहे हों वे गिरफतार किये जाने वाले व्यक्ति को वारन्ट दिखायेगें। 14 दं0प्र0सं0 की धारा–76 में गिरफतार व्यक्ति को बिना किसी विलम्ब के न्यायालय में प्रस्तुत करने के संबंध में कोई पुलिस पदाधिकारी अथवा अन्य कोई दूसरे पदाधिकारी गिरफतार व्यक्ति को बिना बिलम्ब किये हुए संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत कर देगें (धारा–71 द0प्र0सं0) यात्रा के अवधि को छोड़कर 24 घंटों से अधिक नहीं होना चाहिए। गिरफतार व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत कर देगा।	
11	अंतिम प्रपत्र	1 अनुसंधानोंपरान्त काण्ड में अंतिम प्रपत्र समर्पित करते समय घटना का संक्षिप्त विवरण आरोप पत्र की स्थिति में दोशी का पूर्ण विवरण, पता, दोशसिद्ध करने वाले प्रद" ।/गवाहों का पूर्ण विवरण, अनुसंधानक का पूर्ण विवरण,स्पश्ट हस्ताक्षर, पदनाम, मोबाईल नं0/	

		टेलिफोन नं0 आदि उल्लेख करना चाहिए। 2 अनुसंधानकर्त्ता अन्वेषण का सारांश/कांड का ब्यौरा न देकर आरोप पत्र या अंतिम प्रतिवेदन की संख्या और तिथि भर अंकित रहेगी। (पु0ह0नि0–174 और 181 द्रष्टव्य) 3 अनुसंधानकर्त्ता आ0ह0प्र0सं0–32 में यथाशीग्र न्यायालय में भेजेंगे। साथ ही इसकी सूचना सूचनादाता को भी आ0ह0प्र0सं–82 में भेज दी जायेगी। (द0प्र0सं0 की धारा–173 एवं 190 (ख) द्रष्टव्य)।	